भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई–वसन्त विहार। **Project Implementation Unit-Vasant Vihar**
मकान सं0 171, फेज–I, वसन्त विहार, देहरादून – 248006 House no.171, Phase-I, Vasant Vihar, Dehradun - 248006
दूरभाष/Phone: 0135-2760001 ई–मेल/E-mail: piuvasantvihar@nhai.org वेब/Web:www.nhai.gov.in

NHAI/PIU-VSNT VHR/22033/JHJRA-ASHAR /Forest/2022/ 3279 Date: 03.10.2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग,
जनपद–देहरादून।

विषयः उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत, रा0रा0–7, झाझरा से दिल्ली एक्सप्रेसवे, (कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000) आशारोड़ी तक भाग के 4–लेन ग्रीनफील्ड रोड़ कनेक्टिविटी विषयक।

– **वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/140350/2021 के संबंध में।**

संदर्भः आपका कार्यालय पत्रांक 1059/12–1 दिनांक 22.09.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 1059 दिनांक 22.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/140350/2021 के संबंध में कुछ बिन्दुओं पर आख्या चाही गयी है। उपरोक्त के क्रम में वांछित आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित हैः–

क्रम सं0	प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा वांछित आख्या का विवरण	भा0रा0रा0प्रा0 की बिन्दुवार आख्या
1	परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या (4457) अत्यधिक है, क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य अलाईन्मेन्ट पर विचार किया गया है, जिससे प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या को कम किया जा सके। उक्त दोनों अलाईन्मेन्ट की के0एम0एल0 फाईल भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	झाझरा से दिल्ली एक्सप्रेसवे, (कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000) आशारोड़ी तक भाग के 4–लेन ग्रीनफील्ड रोड़ कनेक्टिविटी परियोजना हेतु विभिन्न अलाईन्मेन्ट पर विचार किया गया था (संलग्न) परन्तु वर्तमान अलाईन्मेन्ट–2 सभी विकल्पों में सबसे उपयुक्त पाया गया एवं तदानुसार इस अलाईन्मेन्ट को परियोजना निर्माण हेतु अपनाया गया। वैकल्पिक अलाईन्मेन्ट–1 एवं 3 की वांछित के0एम0एल0 फाईल आपके ई–मेल के द्वारा दिनांक 03.10.2022 प्रेषित की जा रही है। यह भी अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव वन, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 02.06.2021 को दिये गये निर्देशों के अनुपालन में एक संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक 24.06.2021 को कराया गया एवं तदानुसार वृक्षों के पातन की संख्या को कम करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में पुनः संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक 03.10.2021 को उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून एवं वन क्षेत्राधिकारी आशारोड़ी रेन्ज एवं उनके स्टाफ द्वारा कराया गया। संयुक्त स्थलीय निरीक्षण की आख्या, जिसके अनुसार वृक्षों के पातन की संख्या कम से कम प्रस्तावित की गयी है, इस पत्र के साथ सुलग्न सन्दर्भ हेतु प्रेषित है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन ईकाई–वसन्त विहार। **Project Implementation Unit-Vasant Vihar**

मकान सं0 171, फेज– I, वसन्त विहार, देहरादून – 248006 House no.171, Phase-I, Vasant Vihar, Dehradun - 248006

दूरभाष/Phone: 0135-2760001 ई–मेल/E-mail: piuvasantvihar@nhai.org वेब/Web:www.nhai.gov.in

2	प्राय यह देखा जाता है, कि प्रस्ताव तैयार करते समय प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार, व्यासवर्गवार विवरण एवं उनकी संख्या से छपान करते समय विसंगति पायी जाती है जिससे वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः आपसे यह अपेक्षा है, कि यदि किसी अन्य अलाईन्मेन्ट को चयनित कर प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या को कम न किया जा सके तो ऐसी स्थिति में इस प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों तथा उनकी प्रजातिवार संख्या, व्यासवर्गवार विवरण तथा रिजर्व फारेस्ट के किस कम्पार्टमेन्ट के अन्तर्गत उक्त वृक्ष विद्यमान है से सम्बन्धित सूचना का आप अपने स्तर से गहन परीक्षण करते हुए इस आशय से प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, कि भविष्य में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रजाति इत्यादि में कोई विरोधाभाष उत्पन्न नहीं होगा।	भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा प्रस्तावित आर0ओ0डब्लू0 को स्थल पर चिन्हित किया जा चुका है एवं पातन हेतु प्रभावित वृक्षों को गणना सहित पेन्ट द्वारा चिहिन्त किया जा चुका है। वृक्षों की गणना वन विभाग के अधिकारियों एवं भा0रा0रा0प्रा0 के प्रतिनिधियों के द्वारा संयुक्त रूप से की गयी थी एवं तदानुसार वृक्षों की सूची पर स्थल निरीक्षण में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हैं, उक्त सूची में 30 से0मी0 या उससे बड़े व्यास के वृक्षों को सम्मिलित किया गया है जबकि 30 से0मी0 से कम व्यास के पौधों एवं झाड़ीयों को सूची में नही लिया गया है। यदि उक्त के पश्चात भी आपको उक्त सूची में प्रजाति, संख्या, व्यास आदि के विवरण के संबंध में कोई अन्य निर्देश हो तो उक्त वृक्षों का पुनः संयुक्त निरीक्षण कराया जा सकता है। यद्यपि भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि वर्तमान आर0ओ0डब्लू0 में भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नही होगा।
3	परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाले वन भूमि के दुगने अवनत भूमि में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु अवनत भूमि का विवरण भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा वन भूमि के दुगने अवनत भूमि में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु अवनत भूमि के मानचित्र इस कार्यालय पत्रांक 3109 दिनांक 08.09.2022 **(प्रति संलग्न)** के माध्यम से उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

भवदीय

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(पंकज कुमार मौर्य)
महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक
प0का0ई0–वसन्त विहार (देहरादून)

प्रतिलिपिः

1. क्षेत्रीय अधिकारी–उत्तराखण्ड, भा0रा0रा0प्रा0, देहरादून।
2. टीम लीडर, मै0 योंग्मा इन्जीनियरिंग कंपनी लि0, देहरादून – को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन ईकाई–वसन्त विहार। **Project Implementation Unit-Vasant Vihar**

मकान सं0 171, फेज – I, वसन्त विहार, देहरादून – 248006 House no.171, Phase-I, Vasant Vihar, Dehradun - 248006

दूरभाष/Phone: 0135-2760001 ई–मेल/E-mail: piuvasantvihar@nhai.org वेब/Web:www.nhai.gov.in

NHAI/PIU-VSNT VIHR/22033/JHJRA-ASHAR / LA (DDN)/2022/ 3109 Date: 08.09.2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग देहरादून,
जनपद– देहरादून।

आवश्यक / महत्वपूर्ण

विषय: उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत, रा0रा0–7, झाझरा से दिल्ली एक्सप्रेसवे, (कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000) आशारोड़ी तक भाग के 4–लेन ग्रीनफील्ड रोड़ कनेक्टिविटी विषयक।

– वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/140350/2021 के संबंध में ई0डी0एस0 पत्र की अनुपालन आख्या का प्रेषण।

संदर्भ:
1. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा दिनांक 21.06.2021 को लगायी गयी ई0डी0एस0
2. इस कार्यालय का पत्रांक 734 दिनांक 01.07.2021।
3. इस कार्यालय का पत्रांक 959 दिनांक 13.08.2021।
4. इस कार्यालय का पत्रांक 1105 दिनांक 15.09.2021।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग चकराता पत्रांक 90 दिनांक 06.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत, रा0रा0–7, झाझरा से दिल्ली एक्सप्रेसवे, (कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000) आशारोड़ी तक भाग के 4–लेन ग्रीनफील्ड रोड़ कनेक्टिविटी परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/140350/2021 के संबंध में लगायी गयी ई0डी0एस0 दिनांक 21.06.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में अवगत कराना है कि ई0डी0एस0 आपित्तयां दिनांक 21.06.2021 की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय पत्रांक 734 दिनांक 01.07.2021 के माध्यम से पहले ही प्रेषित की जा चुकी है। (संदर्भ पत्र सं0 2)

3. उक्त के क्रम में संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के अनुसार वन क्षेत्रफल में कुछ संशोधन की आवश्यकता थी, तदानुसार संशोधित अभिलेख इस पत्र के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराये जा रहें हैं।

4. इस कार्यालय पत्रांक 1105 दिनांक 15.09.2021 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, देहरादून से क्षतिपूरक वनीकरण हेतु कॉ–ऑर्डिनेट्स उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। जिसके क्रम में 20.1698 हे0 भूमि के कॉ–ऑर्डिनेट्स प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग चकराता द्वारा पत्र दिनांक 06.07.2022 के माध्यम से एवं शेष 29.00 हे0 भूमि के कॉ–ऑर्डिनेट्स आपके कार्यालय द्वारा दिनांक 01.07.2022 को क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपलब्ध कराये गये।

5. वर्तमान में, क्षतिपूरक वनीकरण मानचित्र आई0टी0जी0सी0 विभाग द्वारा उपरोक्त कॉ–ऑर्डिनेट्स के अनुसार तैयार कर लिया गया है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

6. एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र जिलाधिकारी, देहरादून से प्राप्त कर लिये गये हैं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार संशोधित अभिलेखों की मूल प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं साथ ही सबंधित की प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति परिवेश पोर्टल में अपलोड करने की कार्यवाही की जा चुकी है।

भवदीय

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(पंकज कुमार मौर्य)
महाप्रबन्धक (तक0) कृते
परियोजना निदेशक

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7(पुराना 72) (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000 तक निर्माण के संबंध में।

प्रस्ताव संख्या एफपी / यूके / रोड / 140350 / 2021

प्रस्ताव की तिथि 01 अप्रैल 2021

हस्तान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि कुल क्षेत्रफल 20.0849 हेक्टेयर

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

कार्यालय, वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 2462 / 12–1 देहरादून दिनांक 29 / 06 / 2021 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित आशारोड़ी–मंसूरी बाईपास मोटरमार्ग पर संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 24 / 06 / 2021 के पैरा 2 के व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) पत्रांक NHAI/PIU-VSNT-VHR/22033/JHRA-ASHAR/Forest (DDM)2021/1175 दिनांक 29 / 09 / 2021 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7(पुराना 72) (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000 तक निर्माण के संबंध में आज दिनांक 03 / 10 / 2021 को संयुक्त निरीक्षण किया गया।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान वन विभाग के उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून, वन क्षेत्राधिकारी, आशारोड़ी रेंज, एवं बीट एवं अनुभाग अधिकारी मोहब्बेवाला, चन्द्रबनी, लालढ़ाग, आरकेडिया वन विभाग एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से अगम शर्मा, सतीश कुमार सिंह, अरविन्द पाठक उपस्थित रहे। संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रस्तावित भूमि में पातन योग्य वृक्षों की संख्या न्यूनतम है तथा परियोजना को पूर्व में इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है कि न्यूनतम वृक्षों का पातन हो। अतः प्रस्तावित परियोजना 4408 वृक्षों के पातन के बिना सम्भव नहीं है एवं अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।

अतः उक्त संयुक्त निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेसित है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी
दिनांक 23/10/21
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
आसारोड़ी रेंज
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

(Agam Sharma)

Aravind Pathak

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून

NHAI, ... Vihar (Dehradun)
... Received by ...
सं0/No. ...
दिनांक/Date ...

दिनांक–24-06-2021 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित आशारोड़ी–मसूरी बाईपास मोटरमार्ग पर संयुक्त निरीक्षण आख्या

अपर मुख्य सचिव (वन) महोदय, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक–02.06.2021 को दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिनांक **24-06-2021** को प्रस्तावित आशारोड़ी से मसूरी तक बाईपास मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित थे :–

1- श्री राजीव धीमान, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग।
2- श्री श्रीप्रकाश शर्मा, प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भू0सं0 वन प्रभाग।
3- श्री रोहित पंवार, साईट इन्जीनियर, एन0एच0ए0आई0।
4- श्री कमल सिंह, साईट इन्जीनियर, योंगमा कन्सल्टेन्सी।
5- श्री बी0बी0 मार्तोलिया, उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून।
6- श्री उदयनन्द गौड़, वन क्षेत्राधिकारी, आशारोड़ी।
7- श्री विनोद चौहान, वन क्षेत्राधिकारी, झाझरा।
8- श्री महाबीर सिंह रावत, वन क्षेत्राधिकारी, लांघा।

1- प्रस्तावित आशारोड़ी–मसूरी बाईपास मोटरमार्ग के निरीक्षण के प्रारम्भ में **NHAI** के साईट इंजिनियर श्री रोहित पंवार द्वारा देहरादून--दिल्ली राजमार्ग पर चन्द्रबनी क0सं0 **2** में मार्ग के संरेखण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। **NHAI** द्वारा प्रस्तावित मार्ग, जो वन भूमि पर **6** कि0मी0 की लम्बाई में निर्मित होगा, देहरादून–दिल्ली राजमार्ग में आशारोड़ी के निकट चन्द्रबनी क0सं0–**02** से प्रारम्भ होकर चन्द्रबनी क0सं0 **02** के टी–प्वाइंट से गुजरेगा। निरीक्षण के दौरान प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि **NHAI** द्वारा प्रस्तावित मार्ग आशारोड़ी रेंज के विभिन्न वन कक्षों चन्द्रबनी क0सं0–**2,** चन्द्रबनी क0सं0–**3,** आरकेडिया क0सं0–**1**, आरकेडिया क0सं0–**3,** आरकेडिया क0सं0–**4,** लालढांग क0सं0–**1**, लालढांग क0सं0–**2** से होकर गुजरेगा। तत्पश्चात् प्रस्तावित मार्ग पुराना मोटर मार्ग, जो लो0नि0वि0 के अधीन है, से होकर आगे बढ़ते हुए ईस्ट होप टाउन के पास मिलेगा। निरीक्षण के दौरान यह तय किया गया कि उक्त संरेखण का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून द्वारा किया जायेगा तथा प्रभावित होने वाले वृक्षों के सम्बन्ध में सुविचारित आख्या पृथक से प्रस्तुत की जायेगी।

2- उपरोक्त निरीक्षण के पश्चात् चकराता रोड़ से मसूरी कनेक्टीविटी के लिए **NHAI** द्वारा प्रस्तावित 03 संरेखणों का निरीक्षण किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है–

2.1 प्रथम प्रस्तावित मार्ग जो कि चकराता रोड़ पर सेलाकुई से प्रारम्भ होकर डूंगा तक जाता है, का निरीक्षण किया गया। इस मार्ग की लम्बाई लगभग **20** कि0मी0 है। वर्तमान में यह मार्ग पी0डब्लू0डी0 के अन्तर्गत आता है तथा इसके निर्माण में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जाना है परन्तु **NHAI** द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त संरेखण के दोनों तरफ काफी अधिक संख्या में भवन आदि निर्मित हैं तथा **NH** के मानकों के अनुसार सड़क की चौड़ाई रखने की दशा में यह मार्ग भवनों के पास से गुजरेगा जिससे भविष्य में दुर्घटना की आशंका बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त सड़क संरेखण में पड़ने वाले भवनों के अधिग्रहण करने में भी कठिनाई आएगी। इस सम्बन्ध में सभी सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया

गया कि चूंकि उक्त संरेखण में किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाना है, अतः पर्यावरणीय दृष्टिकोण से यह संरेखण सबसे उचित प्रतीत होता है। अतः कोई निर्णय लेने से पूर्व **NHAI, PWD** एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा इस मार्ग का सर्वेक्षण कर संरेखण में आने वाली सभी राजकीय व निजी परिसम्पपत्तियों की इन्वेन्ट्री कर ली जाय ताकि प्रभावित होने वाले भवनों का स्पष्ट आंकड़ा प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त निजी भवन निर्माण में सड़क की तरफ राजकीय भूमि पर यदि कोई अतिक्रमण किया गया हो तो सर्वेक्षण में उसे भी चिन्हित कर लिया जाय। **NHAI** द्वारा यह आंकड़ा भी प्रस्तुत किया जाय कि सड़क निर्माण के इस विकल्प पर कितने स्थानों पर सड़क की चौड़ाई **NH** के मानकों के अनुसार रखने पर निर्मित भवनों व प्रस्तावित सड़क के बीच की **NH** के मानकों के अनुसार न्यूनतम दूरी संधारित करना सम्भव नहीं होगा।

2.2 द्वितीय संरेखण देहरादून वन प्रभाग के झाझरा रेंज के अन्तर्गत डूंगा क0सं0–**06,** डूंगा क0सं0–**09** तथा डूंगा क0सं0–**05** व कण्डोली क0सं0–**07** व कण्डोली क0सं0–**08** के अन्तर्गत पड़ता है तथा सुद्धोवाला पुल पर देहरादून–चकराता मार्ग से मिलता है। यह संरेखण नदी के बहाव के मार्ग के साथ–साथ चलेगा तथा डूंगा गांव के पास मिलेगा जिसकी लम्बाई लगभग **6** कि0मी0 नदी में तथा शेष **2.5** कि0मी0 (कुल लम्बाई **8.5** कि0मी0) पूर्व निर्मित पी0डब्लू0डी0 मार्ग पर है। इस संरेखण पर लगभग **900** वृक्ष प्रभावित होंगे। उक्त संरेखण में चकराता रोड़ से डूंगा चौराहे तक कुल लम्बाई **8.5** कि0मी0 होने तथा घनी आबादी का कोई क्षेत्र न होने के कारण **NHAI** द्वारा प्रथम संरेखण को छोड़ते हुए इस संरेखण को वरीयता दी गयी है। इस संरेखण में प्रभावित अधिकांश वृक्ष उस क्षेत्र में स्थित हैं जहॉ नदी का घुमाव है तथा वहॉ घुमाव से बचने के लिए **NHAI** द्वारा संरेखण को सीधा रखा गया है। निरीक्षण में पाया गया कि नदी का पाट अधिक है अतः जहॉ घुमाव है वहॉ यदि घुमाव के साथ–साथ सड़क का निर्माण किया जाय तो प्रथम दृष्टया सड़क पर चलने वाले ट्रैफिक की स्पीड पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु इससे अधिक हरे पेड़ों को कटने से बचाया जा सकेगा। अतः यह **NHAI** व अन्य सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि उक्त मार्ग के संरेखण का पुनरावलोकन किया जाय तथा नदी के घुमाव वाले क्षेत्र का पुनः संरेखण कर प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या को जितना हो सके उतना कम किया जाय। **NHAI** द्वारा उक्त मार्ग का पुनः संरेखण कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

2.3 तृतीय प्रस्तावित मार्ग जो कि सुद्धोवाला से डूंगा तक निर्मित सड़क का सुधार करते हुए प्रस्तावित है का निरीक्षण किया गया। इस मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अधिक होने के कारण इस मार्ग के निर्माण के औचित्य को सही नहीं मानते हुए सड़क निर्माण के संरेखण के इस विकल्प को अस्वीकार कर दिया गया।

3- डूंगा चौराहे के पश्चात प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी भी निरीक्षण में उपस्थित थे। डूंगा चौराहे से वर्तमान सड़क मार्ग से होते हुये प्रस्तावित संरेखण का निरीक्षण किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित मोटर मार्ग भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी के बकारना क0सं0–**1**, बकारना क0सं0–**2**, बकारना क0सं0–**3** व बकारना क0सं0–**9** से होकर गुजरेगा। भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी की सीमा समाप्त होने के पश्चात यह प्रस्तावित मार्ग मसूरी वन प्रभाग में प्रवेश करेगा। **NHAI** व अन्य सदस्यों के साथ प्रस्तावित विभिन्न संरेखणों पर विचार

विमर्श किया गया। विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि **NHAI** द्वारा उक्त संरेखण का प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी की टीम के साथ पुनः विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा तथा वर्तमान संरेखण का पुनरावलोकन कर प्रभावित होने वाले वृक्षों के सम्बन्ध में पृथक से सुविचारित आख्या प्रस्तुत की जायेगी। उक्त मार्ग पर स्थित बकारना के आगे का क्षेत्र मसूरी वन प्रभाग में है, अतः आगे के संरेखण हेतु कार्यवाही मसूरी वन प्रभाग/यमुना वृत्त द्वारा अपेक्षित है।

4- निरीक्षण के अन्त में यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त निर्देशों के अनुसार **NHAI** द्वारा प्रस्तावित संरेखणों को पुनः तैयार किया जाय तथा उनका तुलनात्मक विवरण भी प्रस्तुत किया जाय ताकि वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिये जाने से पूर्व प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम स्तर पर रखी जा सके।

श्री रोहित पंवार	श्री कमल सिंह	श्री राजीव श्रीमान	श्री श्रीप्रकाश शर्मा	श्री बी0बी0 मार्तोलिया
साईट इन्जीनियर एन0एच0ए0आई0।	साईट इन्जीनियर, योंगमा कन्सल्टेन्सी।	प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग देहरादून।	प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भू0सं0 वन प्रभाग।	उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून।

वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय, वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 2462/12–1 देहरादून, दिनांक 29, जून, 2021

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF), उत्तराखण्ड।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी।
4. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, एन0एच0ए0आई0, तेग बहादुर रोड़, देहरादून।
7. परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, 171 फेज–1, वसन्त विहार, देहरादून।

वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

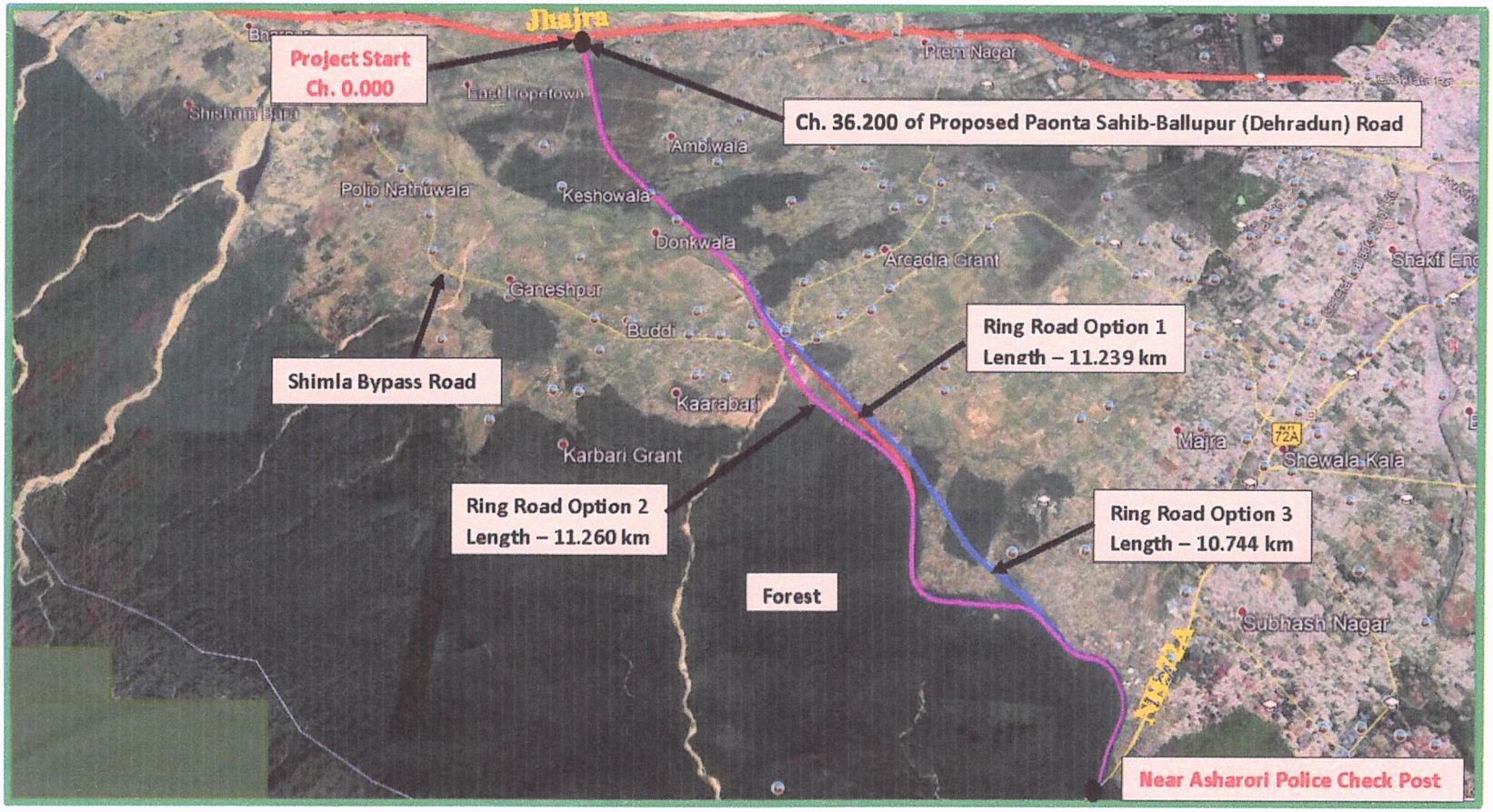

Figure. 4.11 Summary all Three alignment Options submitted to LAC